International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.451-454

महिलाओं का संविधानिक सशक्तिकरणः 73 वां संविधान संशोधन

डॉ. आभा राठौड़*

प्रस्तावना

भारत अपने इतिहास एवं संस्कृति की वजह से विश्व में विशेष महत्व रखता है। यह देश सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के श्रेष्ठ देशों में शामिल है। आजादी के बाद हम निरन्तर विकास की यात्रा में अग्रगामी रहे हैं लेकिन, वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में हमारी पहल की गति काफी तेज रही है। इसके लिए हमारे संसाधनों का मजबूत व सशक्त करने की प्रक्रिया निरन्तर नये आयाम छू रही है।

भारत में आधी आबादी महिलाओं की है इस दृष्टि से उनके विकास के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। कोई भी समाज अपनी सम्पूर्णता में बेहतर तब तक नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी का उचित अवसर प्रदान नहीं किया जाये। समाज की आदिम संरचना से सत्ता की लालसा ने शोषण को जन्म दिया। इसी लालसा ने स्त्रियों को दोयम दर्जे के रूप में देखने की कयावद को बढ़ावा दिया।

भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। स्त्री हर संस्कृति के केन्द्र में होकर भी सत्ता के केन्द्र से दूर है। कहावत है–''स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है।'' समाज अपनी आवश्यकता अनुसार स्त्रियों की भूमिका को ढालता रहा है। उनके सोचने का तरीका, जीवन जीने का ढंग पुरूष की सोच पर आधारित है। पितृसत्तात्मक समाज ने यह सब अपने अनुसार तय किया है। यही कारण है कि जब–जब समाज में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तब उसी समाज को कटघरे में खड़ा किया जाता है और यह बदलाव का संघर्ष हमेशा चलता रहता है।

भारत एवं समूचा विश्व पितृसत्तात्मक समाज के ढांचे में रहते आये हैं। जब महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की जाती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पितृसत्तात्मक समाज को बदलकर मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाये। क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों एवं जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखी जा सकती है। विश्व के कई देशों में भी इस स्थिति को देखा जा सकता है। जहां महिलाएं राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती है।

* सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, सांभर लेक, जयपुर, राजस्थान।

महिला सशक्तिकरण का आधार

विश्व में नारी आन्दोलन की नींव 19 वीं शताब्दी में रखी गई। पश्चिम के कई देश इस मुहिम में भागीदार बनें। नारी आन्दोलन जब मुखर हुए तब ही स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा दुनिया के समक्ष प्रमुखता से आई। इस आन्दोलन की शुरूआत समाज द्वारा नारी को निम्नतर समझने से हुई। पितृसत्तात्मक समाज ने नारी के जीवन जीने के अधिकार, नियम व स्वरूप पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी तथा नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकार दिया इसी कारण जितने भी नारीवादी आन्दोलन हुए उनका मकसद पुरुष का विरोध करना नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक विचार का विरोध करना था ताकि सृष्टि के निर्माण में नारी शक्ति को उचित स्थान और सम्मान मिलें।

भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति पर विचार किया जाये तो नारीवादी आन्दोलनों से पूर्व भी नारी की स्थिति बेहतर थी लेकिन, विदेशी आक्रमणों ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिया। 19 वीं शताब्दी में नारी सशक्तिकरण के प्रयास समाज सुधार एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ आगे बढे। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने तत्कालीन समाज के अनुसार स्त्रियों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महात्मा गांधी के आगमन के साथ नये प्रयासों की शुरूआत हुई। जब महिलाएं एक आह्वान पर स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से जुडी। 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना इस दिशा में मील का पत्थर था। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का सराहनीय प्रयास किया। महात्मा गांधी जहां पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, छूआछूत उन्मूलन की बात कर रहे थे, वहीं भीमराव अम्बेडकर मताधिकार, लैंगिक भेदभाव एवं राजनीति में महिलाओं की भूमिका की दिशा में कार्य कर रहे थे।

महिला सशक्तिकरण का आधुनिक दौर सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन में समानता से जुड़ा है। आज भारत में महिलाओं को वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय समाज ने स्त्री–पुरुष के भेदभाव को सिरे से खारिज किया है। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता संविधान निर्माण से ही शुरू हो गई थी। सरोजिनी नायडू, अमृत कौर, हंसा मेहता, सुचिता कृपलानी जैसी महिलाओं ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन फिर भी स्वतंत्र भारत में महिला भागीदारी के आंकडे बहुत सुखद नहीं रहे हैं। संविधान में समानता के अधिकार के बावजूद भागीदारी में कुछ प्रवृत्तियां उभरकर आई हैं जैसे :–

महिला नेतृत्व समाज की उच्च वर्ग एवं उच्च जाति से ही संबंधित रहा है।

संख्यात्मक रूप से सहभागिता न्यूनतम रही है, अतः राजनैतिक ढांचे को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाई।

महिला सहभागिता सिर्फ शहरों तक ही सीमित रही।

महिला सशक्तिकरण न्यूनतम इस कारण रहा कि महिलाएं प्रोत्साहित तो की गई पर सत्ता में भागीदारी के अवसर सदैव बाधित ही रहे। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की शुरूआत उनके स्थानीय स्तर पर पंचायतों में सहवरण के प्रावधान से शुरू हुई। बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा पर पंचायती राज में इस प्रावधान को अपनाया गया। व्यवहार में लाई गई सहवरण की व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों पर उचित और प्रभावी नहीं रही। यह अप्रजातांत्रिक होने के साथ–साथ इस धारणा पर आधारित रही कि महिला कमजोर है तथा चुनाव नहीं लड़ सकती उसे संरक्षणात्मक उपायों की जरूरत है। सहवरण भी प्रभुत्व वर्ग, प्रभुत्व दल, सामाजिक समूह और जाति पर आधारित रहा है। सहवरण वाली महिलाएं राजनीति से अनभिज्ञ तो थी ही साथ ही उनमें इच्छाशक्ति का भी अभाव था। सन् 1974 में महिलाओं की समिति ने ग्राम स्तर पर महिलाओं की पंचायत गठन की अनुशंसा की। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि ग्रामीण महिलाएं लाभार्थी बनने की अपेक्षा

उसमें सहभागी बने। इसी मन्तव्य की पूर्ति हेतु 73 वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता को आरक्षण द्वारा कानूनी रूप दिया गया।

73 वें संविधान संशोधन में महिलाओ के लिए प्रावधान

यह अधिनियम महिलाओं के लिए कुल सीटों के संख्या के कम से कम एक तिहाई (एस.सी. एवं एस.टी. के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के आरक्षण का प्रावधान करता है।

इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसे प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंचायतों में घुमाया जायेगा।

अब महिलाओं के अनुभव ने परिस्थितियों को बदल दिया है। उन्होंने पुरुषों को चुनौती देकर संसाधनों, अधिकारियों और सबसे बढ़कर अपने नियन्त्रण पर जोर देकर सशक्तिकरण की भावना प्राप्त की है वें अपनी शक्ति के प्रति मुखर और सचेत हो गई है।

- **राजनीतिक सशक्तिकरण :–** अधिनियम महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चत करने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए महिला राजनेता तैयार करने की नर्सरी होगी। विभिन्न गतिविधियों जैसे ग्रामसभा की बैठक में भाग लेने से आम महिला नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ेगी।
- **आर्थिक सशक्तिकरण :–** इस अधिनियम के द्वारा महिलाएं ग्रामीण विकास में मजदूरों से लेकर नीति निर्माण में अपनी क्षमताओं के अनुसार सक्रिय रूप से भाग लेंगी। यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र करेगा।
- **निर्णय लेना :–** महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्यों के रूप में महिलाओं की भागीदारी उन्हें सशक्त बनाने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में भी स्वतंत्र बनायेगी।
- **अपनी आवाज उठाना :–** कम साक्षर होने के बावजूद महिलाएं राजनैतिक और नौकरशाही व्यवस्था से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम होंगी। वे शिक्षा, पेयजल सुविधा, परिवार नियोजन सुविधा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी आवाज उठा पायेंगी।

महिलाएं समाज के परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में अत्याचार और घरेलू हिंसा के खिलाफ सक्रिय रूप से भागीदारी निभा पायेंगी। अनुभव यह बताते भी है कि महिला प्रधान या सरपंच के कारण घरेलू हिंसा में काफी कमी आई है। पीड़ित महिलाएं प्रतिनिधियों के साथ अपनी शिकायतें बेबिझक साझा कर रही हैं।

इन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण मात्र राजनीतिक ही नहीं है बल्कि विकास संबंधी उद्देश्यों की क्रियान्विति के लिए भी है। जनतन्त्र में महिलाओं की साझेदारी का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित महिला दशक की ही उपज है।

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संविधानिक दर्जा देने के कारण महिला सशक्तिकरण मुखर हुआ है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि विगत दशकों में महिला शिक्षा, सहभागिता, आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में भी शिक्षा से वंचित एवं हाशिये पर खड़ी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दिया है। वे उच्च वर्ग की महिलाओं को चुनौती देती दिखाई देती है। महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना भी उनके पूरे भविष्य को तय करता है। यदि आर्थिक क्षेत्र में वे स्वतंत्र निर्णय ले सकें तो सही मायने में सशक्तिकरण है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन (1993) ने राजनैतिक अधिकारों की संरचना में महिलाओं के लिए भागीदारी और सहभागिता सुनिश्चत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भारत में राजनैतिक व्यवस्था –लेखक गीता चतुर्वेदी।
- भारत में पंचायती राज –लेखक रूपा मंगलानी।
- प्रतियोगिता दर्पण।
- करन्ट अफेयर्स।

❖◆❖